मांसाहार न करें

पर्वों एवं मांगलिक संस्कारों के अवसर पर आदिकाल से लोग देवभोजन अर्थात् दूध, दही, घी, मिष्ठान्न, फल आदि सात्विक एवं शाकाहारी भोजन करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ शताब्दि पूर्व पाश्चात्य एवं विदेशी म्लेच्छों के प्रभाव में आकर भारत के कुछ लोग भी देवभोजन छोड़कर म्लेच्छों का भोजन (मांस, मछली, अण्डा, शराब आदि) के व्यसनी होकर अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने कहा है, ***"जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुःख देते, मार डालते तथा खा भी जाते हैं, वैसे मनुष्य भी करे तो वह मनुष्य रूप में हिंसक पशु ही है।"***

स्वाभाविक रूप से मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं।

मांसाहारी प्राणियों के स्वाभाविक गुण :-

- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब जन्मते ही मांस खाना आरम्भ कर देते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब कच्चा मांस ही ज्यादा पसन्द करते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सबके दाँत नुकीले तथा चुभने वाले होते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब जीभ से चाटकर पानी पीते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब डरे-डरे तथा चौकन्ने रहते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सबकी आकृति भयंकर होती है।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब मैथुन के समय जुड़ जाते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सबकी आँखें जन्मते समय बन्द रहती हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, उनके शरीर में दौड़ने पर भी पसीना नहीं आता है।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सबके दौड़ने या छलांग लगाने पर आवाज नहीं होती है।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, वे चबा-चबाकर भोजन नहीं करते, सीधे निगल जाते हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सबको रात्रि में तथा अन्धेरे में साफ-साफ दिखाई देता है। इनकी आँखें रात्रि में चमकती हैं।
- ❑ जितने भी प्राणी मांसाहारी हैं, सब निर्दयी, क्रूर, हिंसक तथा आक्रामक होते हैं। ये घात लगाकर हमला करते हैं, सामने से नहीं।

शाकाहारी बनें
सदाचारी बनें

ये सब लक्षण मनुष्य एवं शाकाहारी प्राणियों में नहीं पाये जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक रूप से मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है। मांस खाना मनुष्य के लिए अस्वाभाविक, अप्राकृतिक एवं रोगों को उत्पन्न करने वाला है। यह आश्चर्य का विषय है कि जहाँ गाय, बैल, घोड़े, हाथी, बकरी आदि शाकाहारी पशु अपने लिए योग्य भोजन को स्वाभाविक रूप से जानते हैं और मांसाहारी भोजन को कभी स्वीकार नहीं करते, वहीं मनुष्य सर्वदा प्रकृति-विरुद्ध और निषिद्ध भोजन को बड़े शौक से स्वीकार करता है तथा अपनी जीवनी-शक्ति को समाप्त करने वाले मांस, मछली, अण्डे को बड़े चाव से खाता-खिलाता है। यह सर्वथा त्यागने-योग्य है।

मांसाहार के विषय में विख्यात डॉक्टरों के विचार इस प्रकार हैं

- ❑ मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों में अपेंडिसाइटिस की बीमारी प्रायः नहीं होती है। *-डॉ० लक्स सैम फेरियर (फ्रांस)*
- ❑ मांस, मछली, अण्डा खाने से कैंसर की बीमारी होती है। *-डॉ०लेफन बिल (फ्रांस)*
- ❑ जिस मानव समूह में जितना अधिक मांस खाया जाता है, उसमें उतनी ही अधिक कैंसर की बीमारी होती है। *-डॉ०रसेल (फ्रांस)*
- ❑ मांस, मछली, अण्डा का आहार त्याग देने पर कब्ज, गठिया, दौरे पड़ना आदि रोग धीरे-धीरे मिट जाते हैं। *-डॉ०मेनरा परडी (फ्रांस)*
- ❑ मांस से यूरिक एसिड व गैस बहुत बनता है। इससे कई रोग उत्पन्न होते हैं एक प्रकार का भयंकर सिरदर्द मांस खाने या मांस से बनी दवाइयाँ खाने से बढ़ जाता है तथा मांस छोड़ देने पर यह धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। *-डॉ०हेग (ब्रिटेन)*
- ❑ किसी जीव की हत्या से निर्मित भोजन पेट में जाकर सड़न पैदा करते हुए क्रूरता, हिंसा और आक्रामक वृत्ति पैदा करता है।*-डॉ०श्रीराम आर्य (एटा)*
- ❑ वर्षों परीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ है कि अण्डों में 30: डी.डी.टी.विष भरा होता है। *-एग्रीकल्चरल डिपार्टमेण्ट (फ्लोरिडा, अमेरिका)* *(Health Buletin, Oct.1967)*
- ❑ अच्छे से अच्छे अण्डे में भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी अधिक होती है, जिसके कारण हार्ट एटैक, हाई ब्लडप्रेशर, गुर्दे की बीमारी, पित्त की थैली में पथरी आदि भयानक रोग पैदा हो जाते हैं। *-डॉ०कैथराइन आकनानो (कैलिफोर्निया, अमेरिका How healthy are eggs, Page 7)*
- ❑ रासायनिक परीक्षण बताता है कि अण्डे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल नामक भयानक विष पाया जाता है। वह जिगर में जमा होकर धमनियों में जख्म पैदा करता है। *-डॉ०जे०अमन (ब्लीकिंश, इंग्लैण्ड)*

प्रमण्डलीय धर्मार्य सभा, कार्यालय-मुजफ्फरपुर के सौजन्य से वैदिक अनुसंधान केन्द्र, बेतिया द्वारा प्रकाशित

0654-244859 प्रकाशन-तिथि : 26.03.06

Email. governorbihar@nic.in

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदय,

राज भवन, पटना

विषयः– बहुत बड़े षडयंत्र के तहत कुपोषण का बहाना बनाकर तीन वर्ष तक के अबोध बच्चों को प्राथमिक विद्यालय आंगन बाड़ी में बुधवार और शुक्रवार को अंडा खिलाकर बिमार पड़ाकर जनसंख्या कम करने के लिए जान से मारने की योजना के संबंध में,

सन्दर्भ–हिन्दुस्तान दिनांक 29.07.2014 पृष्ट 2 में बिहार के मुख्यमंत्री, कल्याणमंत्री एवं उनके सचिवों के आदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं सन्दर्भ में कहना है कि हमारा देश राक्षसों, दानवों, पिशाचों, का देश नहीं है। यह ऋषियों के सन्तानों का देश है। यहाँ मनुष्य का बच्चा जन्म लेकर दूध पीता है। खून नहीं पीता है। मानवाधिकार के विरूद्ध अबोध बच्चों को आंगन बाड़ी में बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का गर्भाशय जो अण्डा कहलाता हैं खिलाने का प्रावधान उपर्युक्त मंत्रियों एवं सचिवों ने पता नहीं किसके दबाव में आकर किया है जो भयंकर अपराध है। इसी बिहार के मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध/मद्य प्रचार विभाग बनाकर पूरी जनता को नशेड़ी बना दिया है और लाखों नवजवानों को नशा पीलाकर जान से मारवा दिया है। इससे भी जनसंख्या की कमी नहीं हुई है तो अब मंत्रियों एवं सचिवों का नजर अबोध बच्चों पर पड़ा है। और इन्हें दूध,दही,घी,मधु,खीर–पुड़ी,हलवा,राबड़ी,मलाई,मिठाई,फल–मूल,काजू,किसमिस,मोनक्का,छोहड़ा,नारियल,बादाम,सोयाबीन,राजमा,चावल,दाल,रोटी,शब्जी से अधिक ताकतवर एवं पोषक अंडा दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये लोग किस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। इनको भारत जीवन दर्शन विरोधी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हो गयी है। हम बिहार की जनता इनके षड़यंत्र का शान्ति पूर्वक विरोध करते हैं। पूर्व में भी नीतीश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक सोमवार को खिलाये जा रहे अण्डे को अथक परिश्रम एवं आपके कठोर आदेश से दिनांक २८ मई २००९ को सर्वदा के लिए बन्द करा दिया गया था।

अतः प्रार्थना है कि बिहार के मुख्यमंत्री, कल्याणमंत्री एवं उनके सचिवों को सावधान करते हुए गर्भाशय (अण्डा) खिलाकर अबोध बच्चों को आंगन बाड़ी में बिमार पड़ाकर जान से मारने के षड़यंत्र पूर्ण योजना को रोकवाने की कृपा करें तथा मेनू को बदलवाने की कृपा करें।

प्रतिलिपि ईमेल, Email-governorbihar@nic.in

- president of india @ rb.nic.in
- Pmosb @ pmo.nic.in
- secy-gs-bih @ nic.in
- CM bihar @ nic.in
- cs-bihar @ nic.in
- secy sw-bih @ nic.in
- Orb sec-bih @ nic.in
- secy.home.bih @ nic.in
- rl sec-bih @ nic.in
- arya sabha @ yahoo.com

Email to all.

संलग्न - हिन्दुस्तान समाचार दिनांक 29.07.2014
पृष्ट 2; 0-3 वर्ष के बच्चों को अंडा खिलाने की योजना।

- sarvadeshik @ yahoo.com

निवेदक

रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी
उप-मंत्री 8/8/2014
बिहार राज्य आर्य प्रतिनिधि सभा
मुनीश्वरानन्द भवन, नया टोला, पटना-4, बिहार
मो. 9939233359
मो. 9472574949
Email- aryapratinidhisabhapatna @ gmail.com

38 DMs 19.9.14
38 DPOs 15.01.15

सेवा में,

Email. governorbihar@nic.in

महामहिम राज्यपाल महोदय,
राज भवन, पटना

विषयः– बहुत बड़े षडयंत्र के तहत कुपोषण का बहाना बनाकर तीन वर्ष तक के अबोध बच्चों को प्राथमिक विद्यालय आंगन बाड़ी में बुधवार और शुक्रवार को अंडा खिलाकर बिमार पड़ाकर जनसंख्या कम करने के लिए जान से मारने की योजना के संबंध में,

सन्दर्भ–हिन्दुस्तान दिनांक 29.07.2014 पृष्ट 2 में बिहार के मुख्यमंत्री, कल्याणमंत्री एवं उनके सचिवों के आदेश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं सन्दर्भ में कहना है कि हमारा देश राक्षसों, दानवों, पिशाचों, का देश नहीं है। यह ऋषियों के सन्तानों का देश है। यहाँ मनुष्य का बच्चा जन्म लेकर दूध पीता है। खून नहीं पीता है। मानवाधिकार के विरुद्ध अबोध बच्चों को आंगन बाड़ी में बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का गर्भाशय जो अण्डा कहलाता हैं खिलाने का प्रावधान उपर्युक्त मंत्रियों एवं सचिवों ने पता नहीं किसके दबाव में आकर किया है जो भयंकर अपराध है। इसी बिहार के मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध/मद्य प्रचार विभाग बनाकर पूरी जनता को नशेड़ी बना दिया है और लाखों नवजवानों को नशा पीलाकर जान से मारवा दिया है। इससे भी जनसंख्या की कमी नहीं हुई है तो अब मंत्रियों एवं साचिवों का नजर अबोध बच्चों पर पड़ा है। और इन्हें दूध,दही,घी,मधु,खीर–पुड़ी,हलवा,राबड़ी,मलाई,मिठाई,फल–मूल,काजू,किसमिस,मोनक्का,छोहड़ा,नारियल,बादाम,सोयाबीन,राजमा,चावल,दाल,रोटी,शब्जी से अधिक ताकतवर एवं पोषक अंडा दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये लोग किस विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। इनको भारत जीवन दर्शन विरोधी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हो गयी है। हम बिहार की जनता इनके षड़यंत्र का शान्ति पूर्वक विरोध करते हैं। पूर्व में भी नीतीश सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक सोमवार को खिलाये जा रहे अण्डे को अथक परिश्रम एवं आपके कठोर आदेश से दिनांक 25 मई 2009 को सर्वदा के लिए बन्द करा दिया गया था।

अतः प्रार्थना है कि बिहार के मुख्यमंत्री, कल्याणमंत्री एवं उनके सचिवों को सावधान करते हुए गर्भाशय (अण्डा) खिलाकर अबोध बच्चों को आंगन बाड़ी में बिमार पड़ाकर जान से मारने के षड़यंत्र पूर्ण योजना को रोकवाने की कृपा करेंतथा मेनू को बदलवाने की कृपा करें।

प्रतिलिपि ईमेल, Email- governorbihar@nic.in

- president of india@rb.nic.in
- pmosb@pmo.nic.in
- secy-gs-bih@nic.in
- cmbihar@nic.in
- cs-bihar@nic.in
- secysw-bih@nic.in
- orbsec-bih@nic.in
- secy.home.bih@nic.in
- rlsec-bih@nic.in
- aryasabha@yahoo.com

Email to all.

निवेदक

रघुनाथ शर्मा चतुर्वेदी 8/8/2014

[illegible]

[illegible] बिहार

मो. 9939233359

मो. 9472574949

Email- aryapratinidhisabhapatna@gmail.com
- airnews patna@gmail.com

संलग्न - हिन्दुस्तान समाचार दिनांक 29.07.2014 पृष्ट 2; 0-3 वर्ष के बच्चों को अंडा खिलाने की योजना।

- sarvadeshik@yahoo.com

38-DMS 19.9.14

38 DPDs 15.01.15

हिन्दुस्तान 02
मुजफ्फरपुर • मंगलवार • 29 जुलाई 2014

इन्दिरा आवास एवं जमीन
...रे सरकार।~ कांग्रेस

पूर्व मे भी बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयो के अबोध बालको को प्रत्येक सोमवार को खिलाये जा रहे अण्डे को हमारे अपढ़ परिश्रम एवं आपके आदेश से दिनांक 25 मई 2009 से बन्द करा दिया गया था।

क्या जी अच्छे दिन के टमाटर गाल वाले पीएम जी...हमको तो बहुत बोलता था

इराक से 16 मजदूर आज लौटेंगे बिहार

राजधानी

कुपोषण से मुक्ति के लिए 0-3 वर्ष के बच्चों को अंडा खिलाने की है योजना

हर हफ्ते कहां से आएंगे 2.5 करोड़ अंडे

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में तीन वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इस व्यापक अभियान में शामिल किया गया है। इन केंद्रों पर रोजाना आने वाले बच्चों को सप्ताह में दो दिन (बुधवार-शुक्रवार) उबला हुआ अंडा देने की योजना 15 अगस्त से शुरू की जानी है। इसका शुभारंभ सीएम करेंगे। राज्य के करीब 91 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 3 तीन वर्ष के बच्चों की संख्या एक करोड़ 25 लाख के आसपास है।

अंडे का फंडा
- 1.25 करोड़ बच्चों को हर हफ्ते 02 अंडा देना है
- 60% अंडा दूसरे राज्यों से सप्लाई होता है
- 2.50 करोड़ अंडे चाहिए हर सप्ताह
- 10 करोड़ अंडा माह व 120 करोड़ एक साल में चाहिए
- 50 लाख अंडे हर दिन खपत है पूरे राज्यभर में

इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को सप्ताह में दो अंडा नियमित मुहैया कराना समाज कल्याण विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इतने अंडों की लगातार सप्लाई कहां से होगी, विभाग ने इसके लिए अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या करीब एक करोड़ 90 लाख है, लेकिन फिलहाल अंडा 0 से 3 वर्ष के बच्चों को ही दिया जाएगा।

यह है विभाग का तर्क

विभागीय अधिकारी बताते हैं कि 15 अगस्त से योजना की औपचारिक शुरुआत होगी। सही रूप से योजना 2 अक्टूबर से चालू होगी। दो महीने में ठोस इंतजाम कर लिया जाएगा। अंडा को जीविका की स्वयं सहायता समूहों या स्थानीय स्तर पर अन्य उत्पादन केंद्रों से खरीदा जाएगा। इसके लिए कोई राज्य स्तरीय एजेंसी नहीं रखी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र की समिति या सेविका ही अंडा को स्थानीय स्तर पर खरीद करेंगी। पूरी व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज्ड रखा गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर अंडा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।

25 मई 2009
हिन्दुस्तान

...बच्चों को
...का लक्ष्य

मध्याह्न भोजन से अंडा व राजमा हटा

नरकटियागंज (सं.सू.)। अब सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में अंडा और राजमा की सब्जी बंद कर दिया गया है। वहीं अब बच्चों को अंकुरित चना, गुड़, हरी सब्जी या ताजा फल दिये जाने का नया निर्देश जारी किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक द्वारा जारी किये गये निर्देश में अब भोजन का मीनू इस प्रकार बनाया गया है।

सोमवार एवं शुक्रवार को चावल, दाल एवं सब्जी, मंगलवार को सोयाबीन एवं चावल, बुधवार को कढ़ी-चावल, गुरूवार को छोला-चावल तथा शनिवार को खिचड़ी-चोखा खिलाये जाने के निर्देश है। इसके अलावा सुविधानुसार किसी समय अंकुरित चना-गुड़, हरी सब्जी या ताजा फल भी प्रतिदिन दिया जाता है ताकि बच्चों को प्रोटीन एवं कैलोरी मिले।

मारपीट में महिला स... पांच घायल

मैनाटांड़ (ए.प्र.)। पुरूषोत्तमपुर थान... भलुवहिया गांव में आपसी रंजिश एवं... मुकदमे को लेकर दो पक्षों के रोड़... मारपीट हुयी। जिसमें एक महिला समेत... घायल हो गये। एक पक्ष में प्रभुशरण... विमला देवी एवं विपीन कुमार शामिल... विपीन कुमार की हालत चिंताजनक... है। दूसरे पक्ष में राजकिशोर प्रसाद... कुमार घायल है। घायलों को पुरूषो... के सअनि एसएन पासवान ने मैनाटांड़... लाकर इलाज करवाया। दोनों तरफ... आवेदन पर पुलिस कार्रवाई कर रही...

GOVERNOR'S SECRETARIAT, BIHAR

No. बि0-10/07- /रा0स0(।।)पटना,

Raj Bhavan, Patna-22
Dated..............

प्रेषक,

बी0 एन0 सिंह,
राज्यपाल के उप सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना ।

विषयः- मध्याह्न भोजन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक श्री रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया, प0 चम्पारण से प्राप्त आवेदन पत्र, दिनांक 29.3.07 की मूलप्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में कृत कार्रवाई से प्रार्थी को अवगत कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(बी0 एन0 सिंह)
राज्यपाल के उप सचिव,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांकः-बि0-10/07-3309 /रा0स0(।।)पटना, दिनांकः- 25/6/07

प्रतिलिपिः-1. श्री रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया, प0 चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कम्प्युटर शाखा, राजभवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/6/07
राज्यपाल के उप सचिव,
बिहार, पटना ।

संलग्न
=====

रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी
4.07.07

Fax - 0612 2222698 27.4.07

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, | महामहिम राज्यपाल महोदय,
बिहार सरकार - पटना | राज भवन, पटना

विषय : निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक ६०५/०७ द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे-बच्चियों को मध्याह्न भोजन के रूप में अण्डा खिलाये जाने के विरोध में।

महाशय,

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक ६०५/०७ द्वारा बिहार सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में, जहाँ पाँच वर्ष से चौदह वर्ष की अवस्था के अबोध बालक-बालिकाएँ अध्ययन करते हैं, वहाँ मध्याह्न भोजन के रूप में सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से अण्डा खिलाये जाने का प्रावधान किया गया है। आज देशी और विदेशी हजारों डाक्टरों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि अण्डा-मांस-मछली मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है तथा यह मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। भारत एक धर्मपरायण देश है तथा बिहार तो भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर की अहिंसा की कर्मभूमि ही रही है। मांसाहार करनेवालों को हमारे यहाँ म्लेच्छ तथा पिशाच कहा गया है। विद्यालय तो विद्या का मन्दिर है, जहाँ आज भी प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना के साथ ही दैनिक कार्यक्रम का शुभारम्भ होता है। वैसे सात्विक परिवेश को मांसाहारी भोजन द्वारा प्रदूषित कर इस राज्य के करोड़ों अहिंसक, शाकाहारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के अभिभावकों तथा बच्चों की भावनाओं को चोट पहुँचाने का कार्य इस योजना से हो रहा है। नाबालिक बच्चों के सामने मांसाहारी भोजन परोसना तथा उनसे यह अपेक्षा करना कि वे यदि उसे नहीं लेना चाहते हैं तो स्वेच्छा से मांसाहारी भोजन का त्याग कर दें, यह अविवेकपूर्ण बात है। हमारा मानना है कि पूरे राज्य की नयी पीढ़ी को मांसाहारी बना देने का यह सोचा-समझा षड्यन्त्र है, जिसे पूर्ण करने में बिहार सरकार शामिल हो गयी है। विडम्बना यह है कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी जैसे उस दल की सरकार है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देकर चुनाव जीतती है और भारतीयता के पक्षधर मतदाता उसे इसलिए वोट देते हैं कि वह सरकार में आने के बाद भारतीय खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन और संस्कृति की रक्षा करेगी, न कि उसका विनाश करने वाली किसी योजना को लागू करेगी। पर्यावरण को दूषित करने में मांसाहार सबसे प्रबल कारण है।

सरकारी विद्यालयों में कोमलमति बच्चे-बच्चियों को हानिकारक, दूषित, मांसाहारी भोजन की ओर प्रेरित करने वाले एवं संस्कारहीन, हिंसक और रोगी बनाने वाले इस पोषाहार का हम घोर विरोध करते हैं। हमलोग मांग करते हैं कि प्रत्येक सोमवार को विद्यालयों में अण्डा करी परोसने का आदेश देने वाले इस नये मीनू को बिहार सरकार तत्काल वापस ले तथा इसके स्थान पर दूध, पनीर या फल देने का आदेश जारी करे। विद्यालय वह स्थान है, जहाँ सभी धर्मों, उपासना पन्थों तथा शाकाहारी-मांसाहारी-सभी परिवारों के बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में शाकाहारी परिवार के बच्चों के मौलिक अधिकार पर प्रहार करने वाले इस मीनू को सहन करना सम्भव नहीं है। इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य की परम्पराएँ दुष्प्रभावित हो रही हैं।

यदि उपर्युक्त तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर मांसाहारी पोषाहार को अविलम्ब बन्द नहीं किया गया तो हम सभी संगठनों के कार्यकर्ता आन्दोलन के लिए बाध्य होंगे तथा धार्मिक स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार पर आघात होने के कारण माननीय न्यायालय में बिहार सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने को स्वतन्त्र होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। इसके साथ ही हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों से हटा लेना ही श्रेयस्कर समझेंगे।

पत्र द्वारा कारवाई की सूचना देने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन,

1. रघुनाथ आर्य-चतुर्वेदी - अध्यक्ष तिरहुत प्रमण्डलीय राजार्य सभा - काशी आर्यसमाज गुजफ्फ. 9905010444
2. कलावती देवी आर्या - उपाध्यक्ष वैदिक अनुसन्धान केन्द्र, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया 27.4.07 9905010444
3. जगन्नाथ प्रसाद आर्य - सदस्य, आर्य समाज बेतिया। 9934035633
4. A/c Mandan Boc. ANANDA MARGA PRACARAK SAMGHA. Diocese Secretary Ananda Marga Pracharaka Samgha UTTARWARI POKHARA
5. B.K. Anjana. Prajapita Brama Kumari ... प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गुलाब बाग ... बेतिया 233703 ... BETTIAH (W. Champaran) 845438
6. शंकर धीर अध्यक्ष - बेतिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स
7. उमाकान्त शर्मा - ... Manager/Asstt. Mu...
8. प्रहलाद प्रसाद हनुमत आराधना मंडल हनुमत नगर वार्ड नं. 3 बेतिया 237769
9. दामोदर द्विवेदी ...
10. ...

ओ३म्
संसार का उपकार करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य है।

०६२१ पी.२२६/८/०

तिरहुत प्रमंडलीय आर्य सभा

आर्य समाज मन्दिर पथ, चिरनी पोखर, मुजफ्फरपुर – ८४२००१

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
महर्षि दयानन्द सरस्वती

संरक्षकगण :
विद्याभूषण प्रसाद
यमुना प्रसाद आर्य
युगल किशोर ठाकुर
चन्द्रदत्त प्रसाद आर्य
नथुनी प्रसाद आर्य
आचार्य सदानन्द शास्त्री

प्रधान :
पन्ना लाल आर्य
फोन - 0621-2247966

उप प्रधान :
बिन्देश्वरी शर्मा आर्य
कमलेश दिव्यदर्शी
अरुण आर्य
ब्रह्मानन्द प्रसाद
श्रीमान् सिंह

मंत्री :
इन्द्रदेव आर्य
मोबाइल : 9234773493

कोषाध्यक्ष :
जगदीश प्रसाद
फोन - 0621-2276336

लेखा निरीक्षक :
ललन प्रसाद

अध्यक्ष विधार्य सभा :
डा० जगदीश चन्द्र शास्त्री

अध्यक्ष धर्मार्य सभा :
डा० व्यासननन्दन शास्त्री

अध्यक्ष राजार्य सभा :
रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी

प्रचार मंत्री : ९९०५०१०४४४
भरत उपाध्यय

संगठन मंत्री :
नागेन्द्र प्रसाद आर्य

कार्यालय मंत्री :
रवि भूषण आर्य

पत्रांक 5............ दिनांक 29.3.07

महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी
राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नयीदिल्ली।

विषय – हिन्दुस्तान नरकटियागंज – मुजफ्फरपुर – पटना 29 मार्च 07 पर प्रकाशित सर्वोच्च न्यायाल के आदेशानुसार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 605/07 द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पोषाहार मीनू [illegible] को बच्चों को "अण्डा की करी" जैसी हानिकारक पोषाहार खिलाने के सम्बन्ध में,

महोदय,

बिहार सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शुद्ध एवं सात्विक मध्याह्न पोषाहार को बन्द करके रोगकारक – हानिकारक पोषाहार का नया मीनू 2 अप्रैल 07 से लागू किया गया है। आज देशी एवं विदेशी हजारों डाक्टरों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि अण्डा – मांस – मछली मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक एवं रोगवर्द्धक है। ऋषि-मुनियों एवं भारतीय परम्परा के आधार पर यह हिंसक जन्तुओं का पोषाहार है। इसे सेवन करने वाले मनुष्यों को म्लेच्छ तथा पिशाच कहा गया है। इसके खाने वालों में हिंसात्मक, आतंकात्मक तथा विनाशात्मक प्रवृत्ति की उत्पत्ति होती है। खाने वालों की आयु भी घट जाती है। यह प्रवृत्ति प्राणिमात्र के विनाश का कारण है। पर्यावरण को दूषित करने में मांसाहार सबसे प्रबल कारण है। विद्यालयों के कोमल मति बच्चे-बच्चियों को हानिकारक, दूषित पोषाहार की ओर प्रेरित करने, संस्कारहीन, हिंसक एवं रोगी बनाने के इस सरकारी कुकृत्य का हमलोग घोर विरोध करते हैं। हमलोग मांग करते हैं कि इस प्रकार के हानिकारक सरकारी पोषाहार देने के इस नये मीनू को शीघ्र वापस करके स्वास्थ्य वर्द्धक शाकाहारी "पनीर की करी" वाले पोषाहार के मीनू को लागू करने की कृपा की जाय। विद्यालय वह विद्यामन्दिर है जिसमें हिन्दु-मुस्लिम-सिख-ईसाई सभी कौम के अच्छे-बुरे, शाकाहारी-मांसाहारी प्रवृत्ति एवं परिवार के बच्चे विद्या एवं संस्कार ग्रहण करने आते हैं। इन्हें संस्कार-हीन, आतंकी, रोगी एवं अपवित्र सरकारी स्तर से बनाने का प्रयास न करें। यदि मांसाहारी पोषाहार "अण्डा-की करी" को शीघ्र बन्द नहीं किया गया तो बाध्य होकर हम जनता आन्दोलन पर उतर आएंगे तथा अपने-अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाने से रोकने पर विवश हो जाएंगे। तथा पढ़ाई छोड़वा देना ही हितकर समझेंगे। पत्र द्वारा कार्यवाही की सूचना देने की कृपा करें। पत्राचारपता – रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी, उत्तरवारी पोखरा, बेतिया, बिहार
(अध्यक्ष राजार्य सभा)
9905010444
29/03/2007

बिहार–सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस.)

संचिका सं० :– ICDS/40025/25–2012/4636 दिनांक 13/08/2014

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

विषय :– **राज्य के सभी जिलों में मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू होने के कारण ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर दिये जाने वाले पूरक पोषाहार के दरो, मानको एवं मेनू निर्धारण के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक 2351 दिनांक 17.05.2013 एवं पत्रांक 2478 दिनांक 23.05.2013**

महाशय,

राज्य के सभी जिलों में मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू होने से बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम में प्रासांगिक पत्रों द्वारा स्थापित वर्तमान व्यवस्था को आंशिक रूप से संशोधित करते हुये निम्नलिखित रूप से दर में संशोधन एवं पोषाहार के मानको का निर्धारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है।

लाभान्वितों का प्रकार	संशोधित दर	पोषाहार का मानक	
		कैलोरी (K cal)	प्रोटीन (gram)
बच्चे 6–72 माह	6.00 रू.	500	12–15
अतिकुपोषित बच्चे 6–72 माह	9.00 रू.	800	20–25
गर्भवती एवं धातृ माताऐं	7.00 रू.	600	18–20

उपरोक्त संशोधित दर के आधार पर पोषाहार के संचालन हेतु मानको एवं मेनू का निर्धारण किया जाता है।

2 साप्ताहिक पोषाहार सूची :–

वर्तमान में बिहार राज्य के सभी जिलों में मिशन मोड लागू होने के फलस्वरूप पोषाहार संचालन हेतु गर्म पका भोजन के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक पोषाहार सूची का निर्धारण किया गया है :–

साप्ताहिक पोषाहार सूची		
दिन	व्यंजन	महीना का दिन
सोमवार	खिचड़ी	4
मगलवार	पुलाव	4
बुधवार	खिचडी	4
बृहस्पतिवार	सूजी का हलवा	4
शुक्रवार	रसियाव	4
शनिवार	खिचड़ी	4
एक दिन और	खिचड़ी	1
कुल दिन		25

3. गर्म पका पूरक पोषाहार :–

गर्म पका पूरक पोषाहार (Hot Cooked Meal) में खिचड़ी, पुलाव, रसियाव, एवं सूजी का हलवा दिया जायेगा। साप्ताहिक सूची के आधार पर मेनू का निर्धारण निम्नवंत किया जाता है :–

Nutritive Value and Cost of Suggestive Recipes for Hot Cooked Meal for ICDS Mission (40 Children + 3 Adol.

Item	Serving Size	Ingredient	Quantity	Nutritive Value of Food Item				Rate/Kg	Rate/Child/day	Quantity of food cooked per day grams	Total Weight of Food Cooked per day g
				Energy (Kcal)	Protein (gm)	Iron (mg)	Calcium (mg)				
Veg Khichadi	1 Plate	Rice (children)	80 gm	276.8	4.1	0.4	4.4	21.0	1.7	3200	6185
		Dal (children)	30 gm	102.9	12.0	3.6	33.1	55.0	1.6	1200	
		Rice (Adol. Girl)	110 gm	380.6	4.1	0.4	5.0	21.0	2.3	330	
		Dal (3 Adol. Girl)	55 gm	188.7	16.6	5.0	45.5	55.0	3.0	165	
		Leafy Vegetables	25 gm	9.0	0.8	0.6	59.0	10.0	0.3	1075	
		Oil	5 ml	45.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.5	215	
		Morning Snacks		71.1	1.0	3.1	3.8	69.0	0.67	800gm	
		Total for Children		604.8	17.9	7.7	100.4	**245.0**	**4.6**		
		Total for Adol. Girl		694.4	22.4	9.1	113.3	245.0	6.7		
Pulao	1 Plate	Rice (children)	80 gm	276.8	3.6	0.4	4.4	21.0	1.7	3200	6385
		Rice (Adol. Girl)	110 gm	380.6	4.1	0.4	5.0	21.0	2.3	330	
		Peanuts (children)	10 gm	56.7	2.5	0.3	9.0	95.0	1.0	400	
		Peanuts (Adol. Girl)	15 gm	85.1	3.8	0.4	13.5	95.0	1.4	45	
		Chana (children)	25 gm	90.0	5.6	1.2	50.5	52.0	1.3	1000	
		Chana (Adol. Girl)	40 gm	144.0	6.3	1.8	80.8	52.0	2.1	120	
		Saag	25 gm	9.0	0.8	0.6	59.0	10.0	0.3	1075	
		Oil	5 ml	45.0	0.0	0.0	0.0	90.0	0.5	215	
		Morning Snacks		71.1	1.0	3.1	3.8	69.0	0.67	800gm	
		Total for Children		548.6	13.5	5.5	126.7	337.0	**5.3**		6kg 385 gms
		Total for Adol. Girl		734.8	16.6	5.3	162.1	337.0	7.2		
Rasiyav for children + Adolescent Girls + Egg/ Peanuts for children	1 Katori	Rice (children)	75 gm	258.8	5.1	0.5	7.5	21.0	1.6	3Kg	5.4 kg (5.2-800 gms of morning snack)
		Rice (Adol. Girl)	110 gm	380.6	4.1	0.4	5.0	21.0	2.3	330gm	
		Jaggery (children)	35 gm	134.1	0.3	0.9	28.0	45.0	1.6	1Kg 400gm	
		Jaggery (Adol. Girl)	45 gm	172.4	0.4	1.2	36.0	45.0	2.0	135gm	
		Peanuts (children)	30 gm	170.1	7.6	0.8	27.0	95.0	2.90	800gm	
		Peanuts (Adol. Girl)	45 gm	255.2	11.4	1.1	40.5	95.0	4.3		
		Egg forChildren	50 gms	86.5	6.7	10.5	30	NA	5.0		
		Total for Children with egg		479.3	12.1	11.9	65.5	NA	8.2		
		Total for Children with peanut		562.9	13.0	2.2	62.5	161.0	6.1		
		Total for Adol. Girl		808.1	16.8	2.7	81.5	161.0	8.6		
Sooji Ka Halwa	1 Plate	Sooji (children)	50 gms	174	5.2	0.8	8.0	26.0	1.3	2 Kg	3.5 Kg
		Sooji (Adol. Girl)	60 gms	209	5.2	1.0	9.6	26.0	1.6	180 gm	
		Peanuts (children)	10 gms	57	2.5			95.0	1.0	400gm	
		Peanuts (Adol. Girl)	15 gms	85	3.8			95.0	1.4	45gm	
		Sugar (children)	15 gms	65	0.2	0.5	16.0	35.0	0.5	600gm	
		Sugar (Adol. Girl)	20 gms	87	0	1	21	35.0	0.7	60gm	
		Oil	5 ml	45	0.0	0.0	0.0	90.0	0.5	215gm	
		Morning Snacks		71.1	1.0	3.1	3.8	69.0	0.67	800gm	
		Total for Children		411.8	8.9	4.4	27.8	315.0	3.9		
		Total for Adol. Girl		496.6	11.2	4.8	34.7	315.0	4.8		

<u>नोट</u> :– प्रत्येक शुक्रवार को सुबह कें नास्ते में अंडा खाने वाले बच्चों को एक उबला अंडा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को 30 ग्राम मुँगफली (रसियाव में मुँगफली नहीं डालना है) दिया जायेगा।

* मॉर्निंग स्नैक्स में अंकित दर चूड़ा एवं गुड को मिलाकर दर्शाया गया है। मॉर्निंग स्नैक्स में प्रति बच्चे 0.67 पैसे के हिसाब से ही मौसमी फल, चूड़ा गुड़ अथवा बिस्कुट देय होगा

उपरोक्त मेनू के आधार पर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को तीन दिन खिचड़ी, एक दिन पुलाव, एक दिन रसियाव एवं एक दिन सुजी का हलवा दिया जायेगा। इस तरह महिने में कुल 25 दिन गर्म पका भोजन सभी जिलों के ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर समान रूप से दिया जायेगा।

4 टेक होम राशन

गर्भवती, शिशुवती एवं 6माह से 3वर्ष के कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों को टी.एच.आर. के रूप में निम्न मात्रा के अनुसार महिने में एक बार 25 दिन के लिए सूखा राशन का वितरण किया जायेगा। विस्तृत विवरणी निम्नांकित है :–

ICDS Mission

Nutritive Value and Cost of Take Home Ration for (16) Pregnant Women & Lactating Mother

Sl.No	Item	Quantity	Nutritive Value of Food Item							Rate/Kg	Rate/Person /day	Monthly Quantiy (gm)
			Energy (Kcal)	Protein (gm)	Carotene (µm)	Iron (mg)	Calcium (mg)	Carbohydrate (gm)	Fat (gm)			
1	Rice	120 gm	414.0	8.2	0.0	1.5	12.0	93.8	0.6	21.0	2.5	3000
	Masoor	90 gm	308.7	22.6	243.0	6.8	62.1	53.1	0.6	55.0	5.0	1500
	Total		722.7	30.8	243.0	8.3	74.1	146.9	1.2	76.0	7.5	
2	Soya badi	14 gm	60.48	6.048	59.64	1.456	33.6	2.926	2.73	80	1.12	350
	Total with Soyabadi		**783.2**	**36.8**	**302.6**	**9.7**	**107.7**	**149.9**	**4.0**		**8.6**	

नोट :– गर्भवती एवं प्रसुती महिलाओं में अंडा खाने वाले को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह में एक–एक उबला अंडा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जायेगा। अंडा नहीं खाने वाले महिलाओं को पूर्ववत सोयाबड़ी मिलेगा।

Nutritive Value and Cost of Take Home Ration for (12) Severely Malnourished Children

Sl.No	Item	Quantity	Nutritive Value of Food Item							Rate/Kg	Rate/Child/day	Monthly Quantiy (gm)
			Energy (Kcal)	Protein (gm)	Carotene (µm)	Iron (mg)	Calcium (mg)	Carbohydrate (gm)	Fat (gm)			
1	Rice	160 gm	552.0	10.9	0.0	1.1	16.0	125.1	0.8	21.0	3.4	4000
	Masoor	80 gm	274.4	20.1	216.0	6.1	55.2	47.2	0.6	55.0	4.4	2000
	Total		826.4	31.0	216.0	7.2	71.2	172.3	1.4	76.0	7.8	
2	Soya badi	20 gm	86.4	8.64	85.2	2.08	48	4.18	3.9	80	1.6	500
	Total with Soyabadi		**912.8**	**39.6**	**301.2**	9.3	**119.2**	**176.5**	5.3		**9.4**	

Here by simply replacing soya badi will give us enough saving which 40 rs. In a month to add 8 eggs (8*5=40) 2 in a week without reducing grains and pulses. Will also help in more regular suprvision of SAM children

Nutritive Value and Cost of Take Home Ration for (28) Malnourished Children

Sl.No	Item	Quantity	Nutritive Value of Food Item							Rate/Kg	Rate/Child/day	Monthly Quantiy (gm)
			Energy (Kcal)	Protein (gm)	Carotene (µm)	Iron (mg)	Calcium (mg)	Carbohydrate (gm)	Fat (gm)			
1	Rice	100gm	345.0	6.8	0.0	0.7	10.0	78.2	0.5	21.0	2.1	2500
	Masoor	50gm	171.5	12.6	135.0	3.8	34.5	29.5	0.4	55.0	2.8	1250
	Total		516.5	19.4	135.0	4.5	44.5	107.7	0.9	76.0	4.9	
2	Soya badi	14 gm	60.48	6.048	59.64	1.456	33.6	2.926	2.73	80	1.12	350
	Total with Soyabadi		**577.0**	**25.4**	**194.6**	5.9	**78.1**	**110.6**	**3.6**		**6.0**	

THR with 2 eggs

Sl.No	Item	Quantity	Nutritive Value of Food Item							Rate/Kg	Rate/Child/day	Monthly Quantiy (gm)
			Energy (Kcal)	Protein (gm)	Carotene (µm)	Iron (mg)	Calcium (mg)	Carbohydrate (gm)	Fat (gm)			
	Rice	100	345	6.8		0.7	10	78.2	0.5	21	2.1	2500
	Masoor	40	137.2	10.04	110	3	28	23.6	2.8	55	2.2	1000
	Total		482.2	16.84	110	3.7	38	101.8	3.3	76	4.3	
	Egg	8 per mon	24.64	1.92	134.4	2.1	13.44	0	2.88	5	1.6	
	Total with egg		**506.84**	**18.76**	**244.4**	5.8	**51.44**	**101.8**	**6.18**		**5.9**	

नोट :– टेक होम राशन में 6 माह से 3 साल के अंडा खाने वाले बच्चों को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह में एक–एक उबला अंडा ऑगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जायेगा, अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को पूर्ववत सोयाबड़ी मिलेगा।

5. मॉर्निंग स्नैक्स –

मॉनिग स्नैक्स में मौसमी फल/गुड़–चुड़ा अथवा बिस्कुट देने हेतु विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर बढ़ता अथवा घटता है तो उसे मॉर्निंग स्नैक्स की राशि से वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री में राशि की बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स देने में किया जायेगा।

Nutritive Value and Cost of Suggestive Recipes for Morning Snacks - Mission

Sl.NO	Item	Ingredient	Quantity/ child	Nutritive Value of Food Item				Rate/Kg	Rate/Child/day	Quantity for 40 Children/ Day (gm)	Quantity for40 Children/ Month (Kg)
				Energy (Kcal)	Protein (gm)	Iron (mg)	Calcium (mg)				
1	Rice Flakes with Jaggery	Rice Flakes	20 gm	51.9	1.0	3.0	3.0	24	0.4	800	20 Kg
		Jaggery	5 gm	19.2	0.0	0.1	0.8	45	0.2	200	5 Kg
		Total for Children	**15 gm**	71.1	1.0	3.1	3.8	69.0	0.59	1000.0	0.0
2	Biscuit	Biscuit	2	57.4	0.8	0.0	0.0		0.67	80 Pieces	2000 Pieces
3	Seasonal Fruit	Guvava/Orange/Ber/Banana		25	0	0.16	24		0.67	NA	

उपरोक्त संभावित मेनू एवं दर का निर्धारण थौक बाजार भाव को आधार मानते हुये Indicative दर के रूप में दिया गया है। खाद्यान्न के क्रय का वास्तविक दर का निर्धारण प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी/या उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति संबंधित खाद्य पदार्थो के दर सीमा बाजार सर्वे के उपरांत प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित करेंगे, जिसे ससमय सेविकाओं को उपलब्ध करायेगें तथा उसकी एक प्रति विभाग/निदेशालय को अनिवार्य रूप से भेजी जायेगी। यदि जिला पदाधिकारी/जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर घटता है तो उसे मॉर्निंग स्नैक्स एवं टी.एच.आर. में दी जाने वाली सोयाबड़ी से वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर किसी सामग्री में राशि की बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स एवं टी.एच.आर. में दी जाने वाली सोयाबड़ी की मात्रा बढ़ा दी जा सकती है। सेविकाओं को समिति द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर विपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों/गर्भवती एव शिशुवती महिलायें को टी.एच.आर. पद्धति के अनुसार खाद्य सामग्री आपूर्ति करने का प्रावधान है। 3से 6वर्ष तक के बच्चों एवं 3 किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तैयार किए गए गर्म पका पूरक पोषाहार को ग्रहण करने की बाध्यता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

विश्वासभाजन

ह०/- 13/08/14

प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक – ICDS/40025/25-2012–4636 दिनांक– 13/08/2014

प्रतिलिपि – सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 13/8/14

प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक 1194 /
[illegible]

अनुमण्डल पुलिस कार्यालय, सदर
बेतिया, दिनांक:- 20/5/12

सेवा में,

श्री रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी,
प्रधान -आर्य समाज, बेतिया
जिला पश्चिम चम्पारण, बेतिया ।

प्रसंग :- लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण बेतिया कार्यालय का पत्रांक 1224/स0 दिनांक 20-4-12 एवं पुलिस अधीक्षक, सह-लोक सूचना पदाधिकारी प0चम्पारण, बेतिया का ज्ञापांक 2015/गो0 दिनांक 30-4-12

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपका आवेदन प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

"दिनांक 9-11-11 को जनता दरबार में नशा बंदी संबंधित आवेदन में विभिन्न मदों का उल्लेख करते हुए जनहित में मांग की गई है। उसके संबंध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई जाय ताकि की गई कार्रवाई का प्रगति प्रतिवेदन जानकारी में आ सके"।

आपको सूचित किया जाता है कि पूर्व में पशु और पक्षियों के मांस, मछली, अण्डा, शराब, ताड़ी, गांजा, स्मैक, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तम्बाकू, सुर्ती (थूकनी), गुटका, बारूद, पटाखा-इन सब विषाक्त पदार्थ की खरीद बिक्री और जुआ-लॉट्री का खेल नगर/ग्राम से बाहर पक्की बाउण्ड्री के अन्दर कराने के संबंध में विषयांकित आवेदन प्राप्त हुआ था। उक्त आवेदन को इस कार्यालय का ज्ञापांक 1144/दिनांक 3-5-12 द्वारा थानाध्यक्ष नगर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

20/5/12

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी
सदर, बेतिया ।

प्रतिलिपि- 1-पुलिस अधीक्षक, प0चम्पारण, ~~बेतिया को कृपया सूचनार्थ~~ ।
2-लोक सूचना पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, प0चम्पारण बेतिया को कृपया सूचनार्थ ।

20/5/12

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी
सदर, बेतिया ।

31/5/2012

सेवा में,
मानननीय मुख्य मंत्री महोदय,
जनता दरबार - बिहार सरकार, पटना,

विषय : पशु और पक्षियों के मांस, मछली, अण्डा, शराब, ताड़ी, गांजा, स्मैक, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तम्बाकू, सुर्ती (थूकनी), गुटका, बारूद पटाखा–इन सब विषाक्त पदार्थों की खरीद–बिक्री और जुआ–लौट्री का खेल नगर/ग्राम से बाहर पक्की बाउण्ड्री के अन्दर कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि :-

1. मांस के लिए पशु और पक्षियों को काटने का स्थान और उनके मांस को बेचने का स्थान नियत करना कानूनन अनिवार्य है जो पूर्व से आम बस्ती से बाहर निर्धारित है। वध किये जाने के पूर्व पशुओं के स्वस्थ होने की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करना तथा उसके द्वारा मांस बिक्री योग्य होने का प्रमाण पत्र देना विधिक रूप से अनिवार्य है। वर्षों पूर्व बेतिया तथा अन्य स्थानों में यह व्यवस्था कायम थी। परन्तु विगत तीस–चालीस वर्षों से इस निमय के पालन में शिथिलता बरती जा रही है।

2. इस शिथिलता के कारण आज सघन बस्तियों में, धार्मिक स्थानों के पास, स्वास्थ्य केन्द्रों के पास, कुंए और नल के पास, तालाब और पोखरों के किनारे मनमर्जी से मांस की हजारों दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। चौक–चौराहों पर और नगर के सभी मार्गों के किनारे पशुओं का वध बिना लाइसेंस के किया जा रहा है, जिससे शहरों और गाँवों में भारी प्रदूषण फैल रहा है। मांस के लिए काटे जा रहे पशुओं की जाँच की कोई व्यवस्था न रह जाने के कारण रोगग्रस्त पशुओं और पक्षियों के मांस धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिससे भयंकर बीमारियां फैल रही हैं।

3. पशुओं और पक्षियों को मारने के बाद उनकी लाश के बचे हुए अवशेष–कचरे को खुलेआम बस्तियों में, नालियों में और पोखरों में फेंक दिया जाता है, जिससे उत्पन्न प्रदूषण से आम नागरिकों का जीवन दूभर हो गया है। इनसे रोज नयी–नयी भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो चिकित्सकों की समझ से भी परे हो रही हैं।

4. सरकार द्वारा शराब तथा ताड़ी की दुकानों के लाइसेंस दिये गये हैं, जिसके कारण नगर और पंचायतों में सर्वत्र शराब और ताड़ी की दुकानें खुल गयी हैं। यहाँ जुटने वाले शराबियों के कारण सभ्य लोगों का आना–जाना, महिलाओं की मर्यादा और बच्चों का भविष्य दाँव पर लग गया है। आये दिन इन दुकानों पर बड़े–बड़े अपराधी तत्वों का जमावड़ा लगता है, जिससे मारपीट, दंगा–फसाद, हत्या और अपहरण आदि अपराधों की बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व में शराब की दुकानें आम लोगों की बस्ती से दूर हुआ करती थीं, जिससे आम नागरिकों को रोज–रोज की परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता था।

5. शहर में जुआ के कई अड्डे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिससे किशोरों और युवाओं में इसकी लत लग गयी है और हजारों हजार घर बर्बाद हो चुके हैं। इन अड्डों के एजेंटों के द्वारा नयी पीढ़ी को इस लत में फंसाकर उनका धन लूटा जा रहा है तथा दूसरों के धन को भी उनसे लुटवाया जा रहा है। राहजनी, पांकेटमारी, चोरी, फिरौती, लॉट्री आदि अपराधों का यह बहुत बड़ा कारण है।

जिलापदाधिकारी कार्या. बेतिया पत्रांक 2530 दिनांक 12/11/11
सचिव सभी बेतिया ...
S.D.O 479 dt 14/11/11
पत्रांक 127 dt 17/11/11 नगर परिषद

6. शहरों तथा गाँवों में खुलेआम रूप से जगह-जगह पर गांजा, स्मैक, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री कर नौजवानों और बच्चों को इस लत में डाला जा रहा है। इससे किडनी, लीवर, फेंफड़े को डैमेज कराकर हजारों लोगों को मार दिया गया है और नये-नये हजारों लोगों को इसके द्वारा मार डालने का अभियान लगातार चल रहा है।

7. जर्दा, तम्बाकू, सुर्ती (थूकनी), गुटका-इन सब पदार्थों की लत एक षडयंत्र के तहत नौजवानों में डाली जा रही है। इससे मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, हृदय-रोग आदि बीमारियाँ बड़ी तेजी से फैल रही हैं। इनके खाने वाले हर जगह, कार्यालय, घर, मंदिर, स्वच्छ रास्ते और कहीं भी थूकते रहते हैं, जिससे गन्दगी और संक्रमण अधिक मात्रा में फैल रहा है। सार्वजनिक स्थानों, बड़े-से-बड़े कार्यालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों की दीवारें इनके थूकने से हमेशा पटी रहती हैं। इनके विरुद्ध कहीं कोई कानूनी कार्यवाई नहीं हो रही है। अवयस्क (18 वर्ष से कम की अवस्था वाले) व्यक्ति द्वारा इन वस्तुओं को खरीदना, बेचना एवं इनका सेवन करना कानूनन अपराध है, लेकिन इस प्रतिबंध का कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को भी ये खतरनाक नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। ट्रेन, बस एवं सार्वजनिक स्थानों पर इनकी बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है, लेकिन इन स्थानों पर भी खुलेआम ये पदार्थ बेचे जा रहे हैं।

8. बारूद पटाखा-इन सब विषाक्त पदार्थों को जलाकर भयंकर वायु-प्रदूषण फैलाया जा रहा है। बारूद की बिक्री खुलेआम बाजारों में की जा रही है, जहाँ इनका बेचना कानूनन अपराध है। इनके कारण बाजारों में कई बार अग्निकांड हो चुके हैं। कितने बच्चों, महिलाओं एवं बड़े लोगों के शरीर इनसे जल गये हैं और अंग-भंग हो गये हैं। फिर भी प्रशासन द्वारा बारूद की इन दुकानों एवं पटाखा जलाने पर कानूनन रोक नहीं लगायी जा रही है। वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा जनता के अरबों रुपये फिर क्यों खर्च किये जा रहे हैं?

अत: निवेदन है कि उपर्युक्त विषाक्त पदार्थों की खरीद-बिक्री और जुआ-लौट्री का खेल आम नागरिकों की बस्ती से बाहर पक्की बाउण्ड्री के अन्दर प्रशासन की देख-रेख में कराने की व्यवस्था की जाय। इन पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति उसी बाउण्ड्री युक्त बाजार में जाकर ही इनका सेवन करें, बाहर इनका सेवन कर आबादी वाले क्षेत्रों को विषाक्त न करें। बच्चों, किशोरों और अवयस्क नागरिकों को इन विषाक्त पदार्थों के सेवन से कानूनी रूप से रोका जाय और चोरी-छिपे इनकी खरीद-बिक्री करने वालों, इनके सेवन के लिए प्रेरित करने वालों या खुलेआम इनका सेवन करने वालों को दण्डित करने की व्यवस्था की जाय। नगर को इन विषाक्त पदार्थों के प्रदूषण से बचाना आपका नैतिक, वैधानिक एवं प्रशासनिक कर्तव्य है।

निवेदक,

रघुनाथ आर्य चतुर्वेदी - 9939233359
प्रधान Email-aryasamajbettiah@gmail.com
आर्य समाज, बेतिया (प. चम्पारण) 845438
बिहार 9/11/2011

नन्दलाल आर्य
मन्त्री
आर्य समाज, बेतिया (बिहार)
9/11/2011

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय
गलाव बाग (साधना भवन) बेतिया-233703
ब्रह्मा कुमारी अंजना
8/11/2011

सोच मंच
(N.G.O का नेतृत्व)
अध्यक्ष
सुरेन्द्र राम
मिडिया प्रभारी
आशुतोष मिश्रा
9708055805

Anand Marg 8/11/2011

8-11-2011

8-11-2011

लिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार पटना।

अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, बेतिया - प० चम्पारण

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,

प०चम्पारण, बेतिया।

विषय :- इस प० चम्पारण जिले में स्थान- स्थान पर अनधिकृत रूप से बकरी एवं मुर्गी के मांसों का दुकान खोलने एवं बेचने के संबंध में।

महाशय,

सेवा में निवेदन यह है कि इस जिले में तथा इसके मुख्यालय नगर बेतिया में स्थान- स्थान पर अनधिकृत रूप से बकरी एवं मुर्गी के मांस का दुकान खुल गया है तथा प्रत्येक दिन नया- नया दुकान खुलता जा रहा है। मांस के काटने, बेचने एवं यत्र तत्र बिखेरने के कारण स्थान पर गन्दगी बदबू एवं इसके कचरे के कारण महामारी फैलने का खतरा बन गया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं नियम 1999 (PREVENTION OF FOOD ADULTRATION ACT 1995 AND RULE 1999) के नियम 50(1)(के) अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति (LICENCE) के किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री प्रदर्शिनी एवं भण्डारन एवं निर्माण इत्यादि नहीं कर सकता है। इस लाइसेन्स को देने का अधिकार केवल आपको ही है।

सामाजिक रूप से भी यह नियम है कि कोई व्यक्ति मर जाय तो महामारी बचाने के लिए उस मुर्दे को नगर के बाहर ही जलाया या दफनाया जाता है। कोई लावारिस पशु या पालतू पशु मर जाय तो उसे भी नगर के बाहर ले जाकर भूमि में गाड़ कर महामारी को फैलने से बचाया जाता है।

अतः श्रीमान् से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने खाद्य निरीक्षक एवं थानाप्रभारी को आदेश दें। ताकि मांस की दुकानों को नगर के भीतर से हटाकर नगर के बाहर किसी एक किनारे दुकान लाइसेन्स के अनुरूप मांस काटने एवं बेचने के लिए भूमि की व्यवस्था करवायें। यह आप ही का दायित्व है तथा हम आपसे जनहित में ऐसी ही आशा करते हैं। इस कृपा के लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे।

प्रतिलिपि :- (1) श्रीमान् असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेतिया प०चम्पारण

(2) संयुक्त खाद्य नियंत्रक महोदय, बिहार पटना उपरी मंजिल, नया सचिवालय

(3) जिला पशुपालन पदाधिकारी, प०चम्पारण, बेतिया

(4) कार्यपालक पदाधिकारी, बेतिया नगर पालिका प०चम्पारण।

निवेदकगण

10.9.2002

1. रघुनाथ शर्मा चतुर्वेदी आर्यसमाज
(2) नागेन्द्र तिवारी (ठाकुर मन्दिर)
3. [illegible]
(4) [illegible] - जोगिया
(5) [illegible]
(6) [illegible] - गुरवलिया
(7) पारस [illegible] - आर्यसमाज रोड
[illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible]

संलग्न- इस विषय में महत्वपूर्ण प्रस्ताव की छायाप्रति।

Received 11/9/02

Received 11/09/2002

Received 10.9.02 Municipality Bettiah

Forwarded

अध्यक्ष बेतिया नगर परिषद बेतिया (प० चम्पारण)